राजस्थान सरकार
सूचना प्रोद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांकः—एफ.2(6350)/डीओआईटी/संस्था/पार्ट—2/2014/00859/2023 जयपुर, दिनांकः 13-02-2023

कार्यालय आदेश

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के सूचना सहायक, जिन्होनें दिनांक 01.01.2016 के पश्चात अपने पद पर दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि निरन्तर संतोषजनक पूर्ण कर ली है को वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के नोटिफिकेशन प.15(1) वित्त (नियम)/2017 दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 17 के अनुसार सूचना सहायक पद की Pay Matrix के अन्तर्गत L-8 लेविल पर वेतन एवं नियमानुसार भत्ते आहरित/वितरित करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

क्र. स.	फाइल नं.	सूचना सहायक का नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	वर्तमान पदस्थापित विभाग	प्रथम कार्यग्रहण दिनांक	परिवीक्षाधीन अवधि (दो वर्ष) पूर्ण होने की दिनांक	निर्धारित वेतनमान में उक्तानुसार निर्धारित वेतन के आधार पर वेतन आहरण एवं स्थाईकरण किये जाने की दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	W-64	प्रताप सिंह रतनू	सूचना प्रोद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति कल्याणपुर, बाड़मेर	20.11.2020	19.11.2022	20.11.2022
2	20	पपीता कुमारी मीणा	कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्डेला (सीकर)	14.02.2020	29.03.2022 उक्त कार्मिक के बिना पूर्व अवकाश स्वीकृत कराये ही अनुपस्थित रहने के कारण 44 दिवस का Dies Non(अकार्य दिवस) घोषित किया गया था जिसके कारण कार्मिका के परिवीक्षा काल में 44 दिवस की अभिवृद्धि की गई है	30.03.2022

उक्त सारणी में क्रम संख्या 2 पर अंकित पपीता कुमारी मीणा, सूचना सहायक को इस विभाग के आदेश क्रमांक 05676/2022 दिनांक 29.08.2022 के द्वारा बिना पूर्व अवकाश स्वीकृत कराये ही अनुपस्थित रहने के कारण 44 दिवस का Dies Non (अकार्य दिवस) घोषित किया गया था, जिसके कारण कार्मिका के परिवीक्षा काल में 44 दिवस की अभिवृद्धि की गई है।

उक्त सूचना सहायको का वेतन निर्धारण सम्बंधित कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के तहत किया जावेगा एवं नियमितिकरण/स्थाईकरण के आदेश एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि का इन्द्राज नियमानुसार उक्त कर्मचारीयो की सेवा पुस्तिका मे किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

यदि उक्त सूचना सहायको जो सूचना सहायक पद पर कार्यग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सरकार के अधीन अन्य पद पर नियमित रूप से सेवारत रहे हो को (जिनके द्वारा परिवीक्षा अवधि में पूर्व पद का वेतन प्राप्त किया जा रहा था) परिवीक्षाकाल समाप्ति पर वेतन निर्धारण वित्त विभाग की अधिसूचना प.15(1) वित्त (नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के निर्देशानुसार सेवा नियम के नियम 26 के अंतर्गत किया जायेगा।

<u>**उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है**</u>

— sd —
(विवेक कुमार)
प्रभारी अधिकारी संस्थापन

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—
1. सम्बंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
3. सम्बंधित कर्मचारी।
4. सम्बंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

विजय
13/02/2023
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी